रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022023-243700
CG-DL-E-17022023-243700

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93]	नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2023/माघ 28, 1944
No. 93]	NEW DELHI, FRIDAY, FEBRURY 17, 2023/MAGHA 28, 1944

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2023

फा. सं. एनएचएआई/डीवीई/एनई-4/पीआईयू-सोहना/गजटपब/पैकेजाटूV/टोल/मिस.—यतः दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे (एनई-4), जो कि सोहना के पास नए रा.रा.-248ए के किमी. 16.840 के साथ इसके जंक्शन से शुरू होकर हरियाणा राज्य में फिरोजपुर झिरका, राजस्थान राज्य में दौसा, लालसोत, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, मध्यप्रदेश राज्य में जावरा, रतलाम, गुजरात राज्य में दाहौद, गोदरा, डोडका (वडोरा), भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, वापी, संघ राज्य क्षेत्र दादर और नगर हवेली में सिलवासा, महाराष्ट्र राज्य में विरार, भिवंडी, कल्याण, बंदलापुर को जोड़ने वाला जेएनपीटी में पनवेल के पास नया रा.रा.-348 के साथ इसके जक्शन पर समाप्त होने वाला पूर्ण नियंत्रित 8-लेन एक्सप्रेसवे है।

और यतः इस एक्सप्रेसवे के विकास से पहले उपरोक्त स्थानों को जोड़ने/विभिन्न गंतव्य स्थानों तक पहुँचने के लिए जनता के पास वैकल्पिक मार्ग तथा सड़कें उपलब्ध रही हैं।

और यतः इस एक्सप्रेसवे को हाई स्पीड कॉरिडॉर (उच्च गति कॉरीडोर) के रूप में विकसित किया गया है और अधिसूचना संख्या का.आ. 1522(अ) दिनांक 6 अप्रैल, 2018 के अनुसार एक्सप्रेसवे हेतु विभिन्न प्रकार के मोटर वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमाएं 80 किमी प्रति घंटा से 120 किमी प्रति घंटा के बीच आधिसूचित की गई हैं।

और यतः अपेक्षाकृत कम गति से चलने वाले वाहन जैसे दुपहिया वाहन, तिपहिया वाहन और अन्य धीमी गति से चलने वाले वाहन जैसे बिना मोटर वाले वाहन, कृषि योग्य ट्रैक्टर (ट्रेलर के साथ तथा ट्रेलर के बिना) आदि को अपनी भेद्यता तथा सम्बद्ध गति अंतर के कारण हाई स्पीड वाहनों (उच्च गति वाहन) से खतरा हो सकता है और यह सड़क सुरक्षा पहलुओं से समझौता करने जैसा होगा।

अतः अब, "राष्ट्रीय राजमार्गों का नियंत्रण (भूमि तथा यातायात) अधिनियम, 2002" की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा निम्नलिखित श्रेणी के वाहनों को दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे (एनई-4), का प्रयोग करने के लिए प्रतिबंधित करने का आदेश दिया जाता है;

(i) मोटर साइकिल (स्कूटर तथा अन्य दुपहिया वाहनों सहित)

(ii) तिपहिया (ई- कार्ट्स तथा ई-रिक्शा सहित)

(iii) बिना मोटर वाले वाहन;

(iv) ट्रेलर के साथ तथा ट्रेलर के बिना ट्रैक्टर

(v) बहु धुरीय हाइड्रौलिक ट्रेलर वाहन

(vi) क्वाड्री साइकिल

संतोष यादव, अध्यक्ष एवं राजमार्ग प्रशासक

[विज्ञापन-III/4/असा./623/2022-23]

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2023

F No. NHAI/DVE/NE-4/PIU-SOHNA/Gazettepub/PkgItoV/Toll/Misc.—Whereas, the Delhi-Mumbai Expressway (NE-4) is being developed as on Eight-Lane fully access controlled expressway, starting from its junction with new NH-248A at Km. 16+840 near Sohna connecting Firozpur Jhirka in the state of Haryana, Dausa, Lalsot, Sawai Madhopur, Kota, Jhalawar in the state of Rajasthan, Jaora, Ratlam in the state of Madhya Pradesh, Dahod, Godhra, Dodka (Vadora), Bharuch, Surat, Navasari, Valsad, Vapi in the State of Gujarat, Silvasa in the Union Territory of Dadar and Nagar Haveli, Virar, Bhiwandi, Kalyan, Bandlapur and terminating at its junction with new NH No. 348 near Panvel at JNPT in the State of Maharashtra;

And whereas there have been and are alternative routes and roads available to the public for linking the above places/accessing various destination points before the development of this Expressway;

And whereas this Expressway has been developed as a high-speed corridor and the maximum speed limits for Motor Vehicles of various descriptions for the Expressway have been notified varying between 80 km/hour to 120 km/hour vide Notification bearing No. S.O. 1522 (E) dated 6th April, 2018;

And whereas the movement of high speed vehicles may pose risk to the safety of certain classes of comparatively slow moving vehicles e.g. two wheelers, three wheelers and other slow moving vehicles like non-motorized vehicles, agricultural tractors (with or without trailers) due to their vulnerability and associated speed differentials and compromise the road safety aspects;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred under Section 35 of "The Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002", it is hereby ordered that the following classes of vehicles are prohibited from using the Delhi-Mumbai Expressway (NE-4);

(i) Motor Cycles (including scooters and other-wheelers);

(ii) Three wheelers (including e-Carts and e-Rickshaws);

(iii) Non- motorized vehicles;

(iv) Tractors Special with or without trailers

(v) Multi Axle Hydraulic Trailer Vehicles

(vi) Quadri-cycles;

SANTOSH YADAV, Chairman and Highway Administrator

[ADVT.-III/4/Exty./623/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA